A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

निर्णायक बाइजलास प्रकाश चन्द रेगर (RAS.) उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

दायरा तारीख 21.0

प्रकरण सं 480/2015

उनवान

1. ओम प्रकाश पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली तहसील उनियारा
2. नाथू पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली तहसील उनियारा
3. बाबू उर्फ रामबाबू पुत्र मोहन ब्राह्मण निवासी देवली तहसील उनियारा
4. गोपाल पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली तहसील उनियारा
5. चौली पुत्री मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली तहसील उनियारा
6. सन्ती उर्फ सन्तोष पुत्री मोहन जाति ब्राह्मण नि० देवली तह० उनियारा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. लड्डू पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
2. अमर सिंह पुत्र लड्डू जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
3. धारा सिंह पुत्र लड्डू जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
4. छोली पत्नी लड्डू जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
5. नारंगी पत्नी अमर सिंह जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
6. अनिता पत्नी धारा सिंह जाति मीना निवासी देवली तह० उनियारा
7. तहसीलदार उनियारा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित -

विद्वान अभिभाषक 1. श्री बरकत उल्लाह खान (प्रार्थीगण)
2. श्री प्रेम चन्द जैन (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट 1955.

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है ग्राम देवली आराजी ख० नं० 1142/2240 रकबा 1.65 हैक्ट. एवं ख० नं० 1653 पैतृक होकर विरासत में प्राप्त हुयी है जो वर्तमान में भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है उक्त प्रश्नगत आराजियात से अप्रार्थीग

Contd..

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्नगत आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की होने पर भी अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक से वंचित हो जायेंगे।

मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी व काबिज काश्त की आराजी ख.नं. 1148/2240 रकबा 1. हैक्ट. तथा ख.नं. 1653 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 1.73 हैक्ट. ग्राम देवली में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द जैन ने जवाब-प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलायी जाकर पत्रावली वास्ते मुकर्रर बहस की गयी। बहस प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक होकर खातेदारी व कब्जे काश्त में है। अतः दिनांक 21.7.15 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि साबिक खसरा नं. 840 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नं. 1651 रकबा 0.35 हैक्ट.

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

एवं 1653 रकबा .08 हैक्ट. बने है। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर ख. नं. 1653 रकबा .08 हैक्टे. प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि ख.नं. 1653 रकबा 0.08 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व व कब्जे की आराजी होने से उन्हे पाबन्द करवाने का कोई वैधानिक अधिकार नही है यदि अप्रार्थीगण पाबंद कर दिया गया तो उन्हे प्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज किया जावे।

निर्णय

दि. 12.3.20

निष्कर्षतः प्रश्नगत आराजी ख. नं. 1653 रकबा 0.08 है. का साबिक ख. नं. 839 है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह प्रमाणित हो कि 1653 साबिक ख. नं. 840 से बना हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष में सिद्ध होती है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है दिनांक 21.07.2015 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/20

उपखण्ड अधिकारी,
उनियारा, जिला-टोंक